

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण  
प्रकरण संख्या : 78/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
एडलवाईज असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली प्रेस, बिल्डिंग नं. ई-03, झण्डेवाला एस्टेट,  
रानी झांसी रोड, दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री जगदीश प्रसाद सोलंकी पुत्र श्री कन्हैया,  
पता :- 490, रेलवे स्टेशन के पास, सांभरलेक, तहसील फुलेरा, जयपुर  
एवं वार्ड नं. 3, रेलवे स्टेशन रोड़, सांभरलेक, जयपुर।
2. श्रीमती तरुणा देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद सोलंकी,  
पता:- 490, रेलवे स्टेशन के पास, सांभरलेक, तहसील फुलेरा, जयपुर।
3. श्री संजय पुत्र श्री राम गोपाल,  
पता:- 127, गौशाला के पास, वार्ड नं. 4, तहसील फुलेरा, जयपुर।
4. श्री राम गोपाल पुत्र श्री कन्हैया लाल,  
पता:- 490, रेलवे स्टेशन के पास, सांभरलेक, तहसील फुलेरा, जयपुर।
5. श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री राम गोपाल,  
पता:- 127, गौशाला के पास, वार्ड नं. 4, तहसील फुलेरा, जयपुर।
6. श्री देवी सिंह पुत्र श्री सुगन सिंह,  
पता:- 999999, गवर्नमेन्ट क्वार्टर्स, वार्ड नं. 5, सांभरलेक, तहसील फुलेरा, जयपुर।
7. श्री रवि कुमार पुत्र श्री राम गोपाल,  
पता:- 127, गौशाला के पास, वार्ड नं. 4, तहसील फुलेरा, जयपुर।



The application under section 14 of The  
Securitisation and Reconstruction of Financial  
Assets and Enforcement of Security Interest Act,  
2002

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

उपस्थित :-

1. श्री विकास मैसी, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 08.01.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वित्तीय संस्था एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक (पूर्व नाम एयू फाईनेन्शियर्स (इण्डिया) लिमिटेड) ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.06.2016 को पुनर्मुर्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री जगदीश प्रसाद सोलंकी एवं श्री राम गोपाल के स्वामित्व की संपत्ति वार्ड नं.3 रेलवे स्टेशन रोड़, सांभरलेक जयपुर स्थित प्लॉट, क्षेत्रफल 101.67 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 13,50,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर

243  
जिला मजिस्ट्रेट  
(एडलवाईज) जयपुर (ग्रामीण)



अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.02.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। तत्पश्चात् एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक (पूर्व नाम एयू फाईनेन्शियर्स (इण्डिया) लिमिटेड) ने जरिये असाईन एग्रीमेन्ट दिनांकित 22.12.2020 को एडलवाईज असेट रिक्न्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को ऋणी का खाता हस्तान्तरित कर दिया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 13,50,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 14,94,766/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 28.02.2018 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री जगदीश प्रसाद सोलंकी एवं श्री राम गोपाल के स्वामित्व की संपत्ति वार्ड नं.3 रेलवे स्टेशन रोड़, सांभरलेक जयपुर स्थित प्लॉट, क्षेत्रफल 101.67 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल भेजकर हो।
6. आदेश आज दिनांक 08.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
जयपुर (ग्रामीण)